न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, स्थाई पताः– कुम्हारों का वास, खाम्बल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 21/2026

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत

–: निर्णय :– **दिनांक 15 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 10–10–2025 को मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पावभाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) का नमूना संख्या S-2843, खाद्य विश्लेषक, जयुपर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1919/Act/2025/ 1919 दिनांक 12–11–2025 में Contravene Regulation 2.9.20 under food Products standards & food Additive पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति(Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 15–4–2026 को प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से आज ही फैसला करवाने का अनुरोध किया। नियत सुनवाई तिथि 15–4–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। दिनांक 15–4–2026 को ही प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि प्रार्थी के दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पाव भाजी मसाला व पाव भाजी का सेम्पल लिया था। पाव भाजी मसाला व पाव भाजी की जांच रिपोर्ट सही आई है तथा उसमें कोई मिलावट नही है, केवल लेबल मिस्टेक कम्पनी की है तथा कम्पनी ब्राण्ड एस.जी.एस., अदमदाबाद है। मैने कम्पनी से पाव भाजी मसाले को क्रय किया था जिसका बिल कहीं पर खो गया है जो नही मिल रहा है। मैं भविष्य में उक्त कम्पनी का मसाला नही खरीदूंगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण को समाप्त करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 10–10–2025 को 10–00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत, जाति– प्रजापत,

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

निवासी– खाम्बल, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही के अन्दर रैक में खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के 15 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम) आम जन को विक्रय करने हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार रावल को गवाह श्री चौपाराम, पुत्र उकाराम जी देवासी, निवासी– इसरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही व श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के 15 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के 04 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1200/– (रुपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार प्रजापत व उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2843, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के खरीदशुदा चारों पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 13–10–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 10–10–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार प्रजापत द्वारा मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही में प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत से खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जयपुर से खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के नमूना संख्या S-2843 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1919/Act/2025/1919 दिनांक 12–11–2025 में खाद्य पदार्थ पावभाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) का नमूना Contravene Regulation 2.9.20 under food Products standards & food Additive पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत ने खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, स्थाई पताः ग्राम खाम्बल, तहसील व जिला– सिरोही ने Contravene Regulation 2.9.20 under food Products standards & food Additive खाद्य पदार्थ पावभाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस)(नमूना संख्या S-2843) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत Contravene Regulation 2.9.20 under food Products standards & food Additive खाद्य पदार्थ पावभाजी मसाला (ब्राण्ड एस जी एस) (नमूना संख्या S-2843) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः ग्राम खाम्बल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम प्रजापत, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, स्थाई पताः ग्राम खाम्बल, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 15 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)